न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 12/2020

शीर्षक

1. विमला देवी पत्नी राजेश कुमार, उम्र वयस्क, जाति बलाई
2. भेरू पुत्र सेडू
3. बाबूलाल पुत्र परता
4. सुमित्रा पत्नी मोहनलाल
5. तीजा पत्नी नाथू
6. धापली पत्नी बिरदीचन्द
7. भगवानी पत्नी ओमकार
8. सन्तरी देवी पत्नी कालूराम
9. केसरी देवी पत्नी मूलचन्द

समस्त व्यस्कान, जाति रैगर, निवासी साईवाड़, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

–वादीगण

बनाम

1. मीरा देवी पत्नी मालीराम, उम्र–वयस्क, जाति रैगर
2. संतोष देवी पत्नी नेमीचन्द, उम्र–वयस्क, जाति रैगर
3. विमला पत्नी चन्दाराम
4. चन्दाराम पुत्र नाथू
5. लक्ष्मीनारायण पुत्र चन्दाराम
6. हजारीलाल पुत्र चन्दाराम
7. कमली देवी पत्नी स्व0 कैलाश

समस्त वयस्क, जाति माली, निवासी साईवाड़, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

8. राजस्थाना सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)
9. उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय–शाहपुरा , जिला जयपुर (राज0)

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, बंटवारा आराजी व लगान एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88,53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 3.8.2022

वाद संक्षेप इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश किया कि गया कि आराजी ख0नं0 788, 789, 790, 791, 792 कुल किता 5 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम साईवाड तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसमें वादी सं0 1 का 1/2 व वादी सं0 2 से 7 का 4/9 हिस्सवा , वादी सं0 8 सन्तरा का 2/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। आराजी खसरा नम्बर 795 रकबा 0. 06 है0 में वादी सं0 1 का 1/3 व प्रतिवादी सं0 3 कर 2/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। आराजी खसरा नं0–793 रकबा 0.06 है0 वाकै ग्राम साईवाड़, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी सं0–2 लगायत 7 का 4/9 हिस्सा व वादी सं0–8 सन्तरी देवी पत्नी कालूराम का 2/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0–2 सन्तोष देवी पत्नी नेमीचन्द का 1/3 हिस्सा दर्ज है नकल जमाबन्दी सं0 2074 से 2077 खाता सं0 410 संलग्न वाद पत्र है।

वाद पत्र में वर्णित आराजी खसरा नं0 793 रकबा 0.06 है0 के 1/3 हिस्से की खातेदार प्रतिवादी सं0–2 सन्तोष देवी पत्नी नेमीचन्द से वादी सं0–9 केसरी देवी पत्नी मूलचन्द ने पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.11.2013 द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है इस प्रकार वादी सं0–9 केसरी देवी अपनी खरीदशुदा भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर अपने उपयोग उपभोग में लेती आ रही है, उक्त आराजी से अथवा उसके किसी भाग से प्रतिवादी सं0–2 संतोष देवी का कोई संबंध व हक अधिकार नही रहा है, वादी सं0–9 ने प्रतिवादी सं0–8 व उसके अधिनस्थ पटवारी हल्का को पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रति देकर उसके नाम खरीदशुदा भूमि का नामान्तकरण खोलकर खातेदारी दर्ज करने का निवेदन किया है किन्तु उन्होंने टालमटोल कर दिया है इस प्रकार वादी सं0–9 को उक्त आराजी खसरा नं0–793 रकबा 0.06 है0 के 1/3 हिस्से का प्रतिवादी सं0–2 सन्तोष देवी पत्नी नेमीचन्द के स्थान पर पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकार की घोषणा करवाया जाना आवश्यक हो गया है।

वाद पत्र के अनुसार वादी सं0–9 को आराजी खसरा नं0–793 रकबा 0.06 है0 के 1/3 हिस्सा का प्रतिवादी सं0–2 की जगह पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं0–2 की जगह पंजीकृत पटवारी हल्का द्वारा खातेदारी दर्ज करने में टालमटोल करने तथा प्रतिवादी सं0–1, व 3 द्वारा वाद पत्र

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

मे वर्णित आराजी का बंटवारा कराने से इंकार करने एवं प्रतिवादी सं0–3 लगायत 7 द्वारा वाद पत्र के जिम्मन नं0–5 में वर्णित प्रकार से धमकी दिये जाने से पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है।

वादी पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई । प्रतिवादी सं0 3, 4 5 व 7 की ओर से श्री दीपक शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा आराजी खसरा नम्बर 795 रकबा 0.06 है0 का राजीनामा होने से आराजी खसरा नम्बर 795 की हद तक दावा विड्रा किये जाने से दिनांक 24.12.20 को दावा विड्रा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया । प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी सं0 1, 6व 2 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में वकील वादी ने शपथ पत्र पेश कर जाहिर किया कि आराजी खसरा नम्बर 793 रकबा 0.06 है0 में प्रतिवादी सं0 2 संतोषदेवी का 1/3 हिस्से को जरिये विकय पत्र दिनांक 13.11.2013 को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा उसका उपयोग व उपभोग करती आ रही हुॅं। वकील वादी ने पत्रावली में पेश दस्तावेजात पर प्रदर्श डलवाये जिसमें प्रदर्श' 3ए पंजीकृत विकय पत्र है ।

वकील वादी ने अपनी एक पक्षीय बहस में जाहिर किया कि पूर्व में आराजी खसरा नम्बर 795 का दावा विड्रा होने से प्रकरण में मात्र प्रतिवादी सं0 2 से जरिये विकय पत्र से खरीदशुदा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की हद तक दावा डिकी किया जावे । हमने रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा वादी के द्वारा डलवाये गये प्रदर्श का अवलोकन पर पाया गया कि प्रतिवादी सं0 9 संतोषदेवी पत्नि नेमीचन्द का आराजी ,खसरा नम्बर 793 रकबा 0.06 है0 में 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा संतोषदेवी के द्वारा अपना 1/3 हिस्सा वादी सं0 9 केसरी देवी पत्नि मूलचन्द जाति रैगर निवासी साईवाड को दिनांक 13.11.2013 विकय किया गया है।इस प्रकार वादिया सं0 9के द्वारा उक्त आराजी को जरिये पंजीकृत विकय पत्र से खरीद कर काबिज काश्त होना पाया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी सं0 2 को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है । इस प्रकार वादी सं0 9 का वाद पत्र मंजूर किया जाना उचित समझते है तथा दावा वादिया सं0 9 के पक्ष में डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादिया सं0 9 के हक में डिकी किया जाता हैं कि हाल आराजी खसरा आराजी खसरा नम्बर 793 रकबा 0.06 है0 में 1/3 हिस्से पर दर्ज खातेदार संतोष देवी पत्नि नेमीचन्द जाति रैगर निवासी साईवाड के स्थान पर वादिया सं0 9 केसरी देवी पत्नि मूलचन्द जाति रैगर निवासी साईवार्ड तहसील शाहपुरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।शेष इन्द्राज यथावत रहेगें । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे । पर्चा डिकी जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 3/8/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 12/2020

शीर्षक

10.विमला देवी पत्नी राजेश कुमार, उम्र वयस्क, जाति बलाई
11.भेरू पुत्र सेडू
12.बाबूलाल पुत्र परता
13.सुमित्रा पत्नी मोहनलाल
14.तीजा पत्नी नाथू
15.धापली पत्नी बिरदीचन्द
16.भगवानी पत्नी ओमकार
17.सन्तरी देवी पत्नी कालूराम
18.केसरी देवी पत्नी मूलचन्द
समस्त व्यस्कान, जाति रैगर, निवासी साईवाड़, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

–वादीगण

बनाम

10. मीरा देवी पत्नी मालीराम, उम्र–वयस्क, जाति रैगर
11. संतोष देवी पत्नी नेमीचन्द, उम्र–वयस्क, जाति रैगर
12. विमला पत्नी चन्दाराम
13. चन्दाराम पुत्र नाथू
14. लक्ष्मीनारायण पुत्र चन्दाराम
15. हजारीलाल पुत्र चन्दाराम
16. कमली देवी पत्नी स्व0 कैलाश
समस्त वयस्क, जाति माली, निवासी साईवाड़, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)
17. राजस्थाना सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)
18. उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय–शाहपुरा , जिला जयपुर (राज0)

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, बंटवारा आराजी व लगान एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88,53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 3/8/2022

अतः दावा वादिया सं0 9 के हक में डिक्री किया जाता हैं कि हाल आराजी खसरा आराजी खसरा नम्बर 793 रकबा 0.06 है0 में 1/3 हिस्से पर दर्ज खातेदार संतोष देवी पत्नि नेमीचन्द जाति रैगर निवासी साईवाड के स्थान पर वादिया सं0 9 केसरी देवी पत्नि मूलचन्द जाति रैगर निवासी साईवार्ड तहसील शाहपुरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।शेष इन्द्राज यथावत रहेगें । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे ।

आज तारीख 3/8/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	